निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 102/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर, के माह 04/2009 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री योगेश त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.11.2016 से 22.11.2016 तक में श्री सुनील कल्ला, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 06.08.2009 से 24.08.2009 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2009 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- बागेश्वर जनपद के तीनों खंड बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड में सुचारु रूप से पेयजल की व्यवस्था करना जिसके लिए पाइप लाइन बिछाना एवं जलाशय, टैंक आदि का निर्माण करना।
3. **3. (i) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (-) `**	**बचत (+) `**
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2012-13	-	-	242.18	242.18	-	-	-	-
2013-14	-	-	276.00	276.00	-	-	-	-
2014-15	-	-	319.12	319.12	-	-	-	-
2015-16	-	-	380.52	380.52	-	-	-	-
2016-17 (upto Oct)	-	-	207.79	207.79	-	-	-	-

(ब) योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय ` **	**अधिक्य (-) ` **	**बचत (+) ` **
2012-13		307.697	332.110	411.890	-	227.917
2013-14		227.917	508.820	520.220	-	216.517
2014-15		216.517	475.870	379.220	-	313.167
2015-16		313.167	586.836	634.778	-	265. 225
2016-17 (Oct)		265.225	367.456	531.441	-	101.24

(ii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय एवं जिला योजना से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:-

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर, को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2012, जुलाई 2012, मई 2013 एवं दिसम्बर 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 & 20(1), लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

भाग - दो-ब

प्रस्तर 1: धनराशि ` 740.55 लाख के पूर्ण एवं हस्तांतरित निर्माण कार्यों की लेखाबन्दी नहीं किया जाना।

लेखा परीक्षा द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, वागेश्वर के निर्माण संबंधी अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं को लेखापरीक्षा की तिथि तक लेखाबन्दी नहीं किया गया जबकि योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है एवं हस्तांतरित भी किया जा चुका है, विवरण निम्नवत् है:

क्रम सं.	**योजना का नाम (जनपद बागेश्वर)**	**वास्तविक व्यय (` लाख में)**	**पूर्ण होने की तिथि**	**हस्तांतरण की तिथि**
1	सनिउडियार, कांडा	7.45	1/83	1/83
2	खराई पट्टी, कांडा ताकूला	165.98	12/85	3/98
3	ग्वाड़ पाजीना, गरुड	12.61	3/98	3/98
4	अन्नालोहारचौड़ा, गरुड	41.890	9/2000	12/2000
5	शामा फेज -II, कपकोट	50.49	10/98	1/99
6	शामा पे.यो.I, कपकोट	140.87	3/05	3/11
7	सूपी, कपकोट	28.42	12/10	11/11
8	लटोला मयचक, कांडा	30.39	9/03	7/07
9	बिलोरी (पुर्न.), कांडा	24.71	8/04	6/07
10	सुमगढ़, कपकोट	89.79	6/04	4/15
11	पचना, गरुड	65.55	1/09	9/10
12	चचई, कपकोट	55.96	10/12	10/13
13	नई बस्ती ओखली सिरोद, बागेश्वर	26.44	6/10	7/10
	योग	**740.55**		

नियमानुसार योजनाओं की लेखाबन्दी शिघ्राशीघ्र किया जाना चाहिए। पूर्ण योजनाओं की लेखाबन्दी किए जाने हेतु समय-समय पर मुख्यालय द्वारा निर्देश जारी किए जाते है। मुख्यालय द्वारा भी लेखाबन्दी को पूर्ण नहीं किए जाने पर कडा रोष व्यक्त किया है एवं लेखाबन्दी की धीमी प्रगति को अत्यंत गंभीर माना है। पूर्ण योजनाओं की लेखाबन्दी समय से न किए जाने के कारण शासन से प्राप्त ऋण तथा अनुदान की राशि का लेखों में समायोजन नहीं हो पा रहा है।

लेखा परीक्षा के द्वारा उक्त को इंगित किए जाने पर शाखा के द्वारा प्रत्युत्तर में बताया गया कि उक्त योजनाओं की लेखाबन्दी हेतु प्रयास किए जा रहे है। उत्तर मान्य नहीं है

क्योंकि योजनाओं को पूर्ण हुए 04 से 34 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी लेखाबन्दी की प्रक्रिया लंबित है।

अतः धनराशि ` 740.55 लाख के पूर्ण एवं हस्तांतरित निर्माण कार्यों की लेखाबन्दी नहीं किए जाने के लंबित प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : सेवानिवृत्त होने के बाद भी ` 11.40 लाख के मूल्य की अग्रिम सामग्री का समायोजन न किया जाना।

अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, बागेश्वर की अग्रिम (सामग्री) से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा श्री मो. इस्माइल खान, जे.ई. को वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक अग्रिम के रूप में ` 12.80 लाख के मूल्य की सामग्री दी गयी थी। सम्बन्धित जे.ई. द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कुल ` 2.72 लाख के मूल्य की सामग्री का समायोजन दिया गया था।

इसी प्रकार श्री जे.पी. टम्टा, अधिशासी अभियंता का भी वर्ष 2014–15 से ` 1.32 लाख मूल्य की सामग्री का समायोजन लंबित पड़ा था। विवरण निम्नवत् है :

नाम/पदनाम	वर्ष	दी गयी सामग्री का मूल्य
श्री मो. इस्माइल खान, जे.ई.	2009–10	10196.35
	2010–11	9194.65
	2011–12	241108.32
	2012–13	1020317.74
	2013–14	(–) 87982.70
	2014–15	(–) 183961.55
योग		**1008872.81**
श्री जे.पी. टम्टा, अधिशासी अभियंता	2014–15	132000

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों प्रकरणों में कुल ` 11.40 लाख (` 10.08 + ` 1.32) मूल्य की सामग्री का समायोजन वर्षों से लंबित पड़ा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति स्वीकारते हुए बताया कि बार–बार इकाई द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराने के उपरान्त भी इनके द्वारा कोई भी समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे यह भी बताया कि क्रमांक एक पर अंकित कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य लाभ अभी नहीं दिये गये हैं परन्तु क्रमांक दो पर अंकित कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया गया है परन्तु अन्य लाभ दिये जाने बाकी है।

अतः सेवानिवृत्त होने के बाद भी ` 11.40 लाख के मूल्य की अग्रिम सामग्री का समायोजन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : योजना पूर्ण होने के पश्चात भी ` 7.71 लाख की धनराशि का वर्षों से अवरूद्ध पड़े रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत वर्ष 2010–2011 में जनपद बागेश्वर की बोड़ी धुराफाट पेयजल योजना में 10 ग्राम पंचायतों (16 उपसमितियों) में पानी की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत आगणन ` 374.68 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. वित्त के परीक्षणोंपरान्त शासनादेश सं. 1635/उन्तीस (2)/10–2 (31 पे.)/2010 दिनांक 24.11.2010 के द्वारा ` 362.69 लाख की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इकाई को स्वीकृत धनराशि ` 362.69 लाख के सापेक्ष ` 327.91 लाख की धनराशि तीन किस्तों में अवमुक्त की गयी थी। आगे जांच में यह भी पाया गया की उपरोक्त 10 ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत पाना को इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि ` 17.22 लाख के सापेक्ष ` 6.88 लाख पत्रांक संख्या 1593/ NRDWP /51 दिनांक 07.06.2012 के द्वारा अवमुक्त की गयी थी। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य माह 05/2012 में प्रारम्भ कर 6 माह में पूर्ण करना था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा माह 06/2015 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.06.2015 को अवमुक्त धनराशि ` 6.68 लाख इकाई को वापस की गयी थी। अर्थात् तीन वर्ष तक न तो ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया और न ही अवमुक्त धनराशि वापस की गयी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत पाना को छोड़कर योजना को पूर्ण कर माह 04/2015 में हस्तान्तरित भी किया गया था। ग्राम पाना द्वारा वापस की गयी धनराशि ` 6.68 लाख लेखापरीक्षा तिथि (माह 11/2016) तक इकाई में पड़ी हुई थी एवं सम्बन्धित वर्क रजिस्टर की जांच में पाया गया कि योजना की लेखाबंदी भी नही की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ग्राम पंचायत पाना द्वारा स्थानीय स्रोत को जोड़कर अन्य मद से पेयजल योजना का निर्माण कर दिये जाने के कारण उक्त पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं रही। ग्राम पंचायत द्वारा वापस की गयी धनराशि ` 6.68 लाख एवं इस पर अर्जित ब्याज ` 83981 (कुल ` 771981) की धनराशि इकाई के खाते में पड़ी है। लेखाबंदी के संबंध में बताया कि योजना की लेखाबंदी कर दी जायेगी।

अतः योजना के पूर्ण होने के पश्चात भी ` 7.71 लाख की धनराशि वर्षों से अवरूद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : निरर्थक व्यय धनराशि ` 1.58 लाख।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर के पेयजल योजना निर्माण संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत शासनादेश संख्या 3692/अ.प्रे.सा./46 दिनांक 30.7.2005 के द्वारा पेयजल योजना बेदी बगड़, कांडा, बागेश्वर की स्वीकृति दी गयी थी जिसकी कुल स्वीकृत लागत ` 19.99 लाख थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि तक इसके अंतर्गत कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी एवं न ही योजना पर कोई कार्य किया गया बल्कि इस योजना पर लेखापरीक्षा तिथि तक कुल वास्तविक व्यय धनराशि ` 1.58 लाख की जा चुकी है जो कि अन्य योजनाओं की धनराशि से divert किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त व्यय धनराशि के बारे में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि योजना पर विवाद होने के कारण कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना बहुत पुरानी है, न ही इसके लिए कोई धनराशि अवमुक्त हुई एवं न ही कोई कार्य हुआ, फिर भी अन्य योजना की धनराशि को इसके ऊपर भारित किया गया।

अतः उक्त योजना के ऊपर धनराशि ` 1.58 लाख का निरर्थक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
22/2004-05	-	1,2,3	-
19/2005-06	-	1,2,3,4	-
08/2006-07	-	2,3,4	-
12/2009-10	1	1	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।**

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. **अप्रस्तुत अभिलेख :** ` 95.18 लाख के भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत न करना।

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
i	श्री मनोहर सिंह	अधिशासी अभियंता	10.8.2009 से 31.7.2010
ii	श्री ए के अवस्थी	अधिशासी अभियंता	1.8.2010 से 7.8.2012
iii	श्री जे सी पांडे	अधिशासी अभियंता	13.8.2012 31.3.2013
iv	श्री आर के चौहान	अधिशासी अभियंता	1.4.2013 से 8.5.2013
v	श्री डी सी मित्तल	अधिशासी अभियंता	9.5.2013 से 5.3.2014
Vi	श्री के सी जोशी	अधिशासी अभियंता	6.3.2014 से 29.2.2016
Vii	श्री जे पी सिंह	अधिशासी अभियंता	1.4.2016 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)